एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।

स्वच्छता की उड़ान

फोन/फैक्स न0– 05963–221761 E-Mail I.D–eepmgsybageshwar@rediffmail.com

पत्रांकः– 437 / दिनांक 18/8/2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– ***जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मल्लाडोबा से नौघरस्टेट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.98 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।***

सन्दर्भः– *आपका पत्रांक 482/FP/UK/ROAD/11610/2015, दिनांक 10.08.2015*

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–646(1)/X–4–15/1(381)/2015, दिनांक 31.07.2015 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत गयी थी जिसमें अधोरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना है। उक्त पत्र के क्रम में अनुपालना निम्नवत् है–

1– शर्त संख्या–1 प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.96 है0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि ₹1833203.92 जमा की जा चुकी है।

2– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 7.96 है0 है, को जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक–31/छब्बीस वन/2015–16, दिनांक 30.11.2015 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है (प्रति संलग्न)

3– प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा उपलब्ध कराये गये डिमाण्ड नोट तथा नोडल अधिकारी, वन विभाग देहरादून द्वारा सत्यापित जनरेटिड चालान के अनुसार धनराशि जमा कराई गई है।

4– शर्त संख्या–3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि ₹2614860.00 जमा कर दी गयी है।

5– उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जा चुका है।

6– शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रमाण पत्र संलग्न है।

7– शर्त संख्या–5 के अनुपलन में विभिन्न मदों में देय धनराशि को RTGS के माध्यम से जमा करा दिया गया है। (पुष्टि पत्र संलग्न है)

8– शर्त संख्या–6 के अनुपालन हेतु भू–वैज्ञानिक के सुझावों के कड़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

9– शर्त संख्या–7 के अनुपालन में अवगत कराना है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों एवं निर्धारित प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित है।

10– शर्त संख्या–8 के अनुपालन प्रमाण पत्र संलग्न है।

11– शर्त संख्या–9 के अनुपालन में अवगत कराना है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति उल्लिखित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा जिसे विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

12– मलुवा निस्तारण वनभूमि में प्रस्तावित नही है।

भवदीय

18-8-17

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

पत्रांकः– 437 / *तद्दिनांक*

प्रतिलिपि, प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18.8.17

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

आदेश

उपजिलाधिकारी,कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 21.11.2015 के आधार पर जनपद बागेश्वर में मल्लाडाबा से नौघरस्टेट तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 3.98 है0 की दुगनी अवनत वन भूमि 7.960 है0 जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी श्रेणी 9(3)ख–1 में खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 5700 रकवा 11.063 है0, मध्ये 7. 960 है0 कुल रकवा 7.960 है0 श्रेणी 9(3)ख–1 (जंगल) के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(II) /2012–18(120) / 2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 646/ X–4–15/1(381)/2015 दिनांक 21 जुलाई, 2015 में दी गयी शर्तो के अधीन उक्त वर्णित 7.960 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर

संख्या – 31 / छब्बीस वन /2015–16 दिनांक 30 /11/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग ,बागेश्वर।
2– अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड, बागेश्वर।
3– उपजिलाधिकारी,कपकोट।
4–तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

2.12.15
EE

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

P.C. attested

सहायक अभियन्ता।
पी0एम0जी0एस0वाई0
सि0ख0बागेश्वर

17 (A)

— प्रतिलिपि खतौनी ८ (३) ख (१) ईमारती लकड़ी केवल

NZA खतौनी ग्राम कठियाकोट व ओदियाकोट

खाता सं.	खातेदार का नाम	क्र.	खेत नं.	रकबा	लगान	विवरण
११०	जंगल		९६८	४॥		
			९६९	२३९		
			९४०५	३६८॥		
			९४००	९८०॥		
			९४००	९२५		
			क्रमशः			
			५६००	५५३=	✓	
			५६०९	११०	✓	
			क्रमशः			
			८३०२	५		
			८३०३	३		
			८३०४	॥=		
			८३०५	२=		
		योग	३६८	५४०४९=		

P.C. attested
AE
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सि०ख०बागेश्वर

	हे.	खेत सं.	महोदय रकबा
① [illegible]माडेवा से जोधार स्टेट —	३.१८०	५६००	५५३=
② [illegible] से मानकभाड़ —	४.१२४	५६०९	११०
③ [illegible] कट ड्रिग से फफ्ड हुआ	४.२१९	२ खेत	६६२= नाली

आख्या से नक्शा किया

③ [illegible] उक्त प्रस्तावित खेत १२.४०२ हे. का [illegible] है।

[signature] 21/5/15
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र .... तहसील कांडा/ कपकोट
जिला–बागेश्वर

[signature] 20.5.15

NZA खतौनी उद्धरण ग्राम [illegible]

[illegible]

अधिकोषी १(३)रव [illegible]

खातेदार का नाम	क्र.	खेत नं.	रकबा
		१४८	0.110
		क्रमशः	
		१४६५	4.149
		१४६६	4.121
		क्रमशः	
	योग	३७८	५४०४९

प्रस्तावित खेत नं. 1466 रकबा 4.121 है.

प्रस्तावित किया

[illegible] से [illegible] — [illegible]

PC attested

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०

प्रमाण पत्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित चिन्हित सिविल एवं वन भूमि के कब्जे का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मल्लाडोबा से नौघरस्टेट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.98 है0 वन भूमि के बदले वृक्षारोपण हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 7.96 है0 है, जिसका म्यूटेशन विभाग के पक्ष में हुआ है, जिसे हमारे कब्जे में ले लिया गया है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कपकोट

वनक्षेत्राधिकारी
धरमघर (?) वन क्षेत्र

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग बागेश्वर।

उपपत्र-2.10 42

प्रारुप—43

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में मल्लाडोबा से नौघर स्टेट मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित बदियाकोट सिविल (श्रेणी 9(3) ख) स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में मल्लाडोबा से नौघरस्टेट मोटर मार्ग।**

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण के एवज में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं आदेश दिनांक 09.05.2008 में निर्धारित प्रक्रिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456/1–42, दिनांक 15.12.08 में दिये गये निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी गयी है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में वृद्वि की जाती है तो उसका भी भुगतान उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग को उनकी मॉग पर कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

5	FP/UK/ROAD/11610/2015 Maldoba to Naoghar State Motor Road	ROAD116102015949	113116102015949	31 Jul 2015	**CA:** 1833203.92/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 2614860/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 4448063.92/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 20 Mar 2017 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 21 Mar 2017 **Transaction Date** : 27 Apr 2017	Demand Letter Generated Challan
6	FP/UK/ROAD/8637/2014 Simkhet Maigan State MR	ROAD86372014319	11386372014319	13 Aug 2015	**CA:** 1046511/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 2522223/- , **Strip Plantation :** 1400000/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 4968734/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 05 Mar 2016 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 15 Mar 2016 **Transaction Date** : 07 Apr 2016	Demand Letter Generated Challan

Disclaimer

An innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
For any clarification, kindly contact at(011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nic(dot)in.)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

For any Technical support, Please Contact
Environment,Forest and Climate Change Informatics Division (EFCCID),NIC,New Delhi,
monitoring-fc(at)nic(dot)in

P.C. attested

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में मल्लाडोबा से नौघरस्टेट मोटर मार्ग।**

भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

<u>प्रमाण पत्र।</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव में चिन्हित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
बागेश्वर।

संख्याः 646 /X-4-15/1(381)/2015

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादूनः दिनांकः 21 जुलाई, 2015

विषयः जनपद-बागेश्वर में मल्लाडोबा नौघर स्टेट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.98, है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-152/1जी-FP/UK/ROAD/11610/2015 दिनांक 10 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर में मल्लाडोबा नौघर स्टेट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.98, है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.96, है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं05-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय

P.C. attested

Scanned by CamScanner

कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनाराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 646 (1)/ X-4-15/1(381)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0 आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, बागेश्वर।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव।

P.C. attested
AE

Scanned by CamScanner